तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/11/20	पत्रावली पेश हो। वकील पक्षकार उपस्थित हो। ~~[illegible]~~ निगरानी वादी बहस के दिनांक 9.11.20 को पेश हो।	
9/11/20	पत्रावली पेश हो। वकील पक्षकार उपस्थित हो। निगरानी वादी बहस के दिनांक 9-11-20 को पेश हो।	
9/11/20	पत्रावली पेश हो। वकील पक्षकार उपस्थित हो। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। निगरानी वादी आदेश के दिनांक 24-11-20 को पेश हो।	
24/11/20	पत्रावली पेश हो। वकील पक्षकार उपस्थित हो। प्रकरण में बहस पूर्व में ही सुनी जा चुकी है। बहस वादी अधिवक्ता की एवं राजस्व रिकॉर्ड तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया। वादी का वाद स्वीकार होने योग्य है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाइल हो। पत्रावली मियाद गुजरने होने बाद [illegible] से पक्ष की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
68 / 2019	24.09.2019	24.11.2020

पीठासीन अधिकारी– रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1– सत्यनारायण उर्फ मोहनलाल पुत्र श्री भैरवानन्द जाति ब्राहम्ण निवासी बम्बुलिया तहसील पीपल्दा हाल निवासी 2 एफ 60 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा जिला कोटा (राज0)

वादी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा(राज0)

प्रतिवादी

उपस्थित :–

1– वादी अधिवक्ता श्री भागवन्त सिंह आसावत एडवोकेट
2– तहसीलदार पीपल्दा

<u>वाद पत्र अनतर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट</u>

निर्णय

संक्षेप में मामला यह है कि वादी ने वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88, 89 .आर.टी. एक्ट का , इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम बम्बुलिया कलॅा पटवार क्षेत्र बम्बुलिया कलॅा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2070–2073, खसरा नम्बर 401 रकबा 0.22 है0 , खसरा नम्बर 402 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 506 रकबा 1.36 है0, खसरा नम्बर 524 रकबा 0.85 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.44 है0 भूमि स्थित है। जिसे वाद पत्र की आगे की मदों में विवादित आराजी कहा गया है।

यह कि विवादित आराजी वादी के खाते व कब्जा काश्त की आराजी है जिसमें वादी का नाम मोहनलाल पुत्र भैरवानन्द के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जोकि वादी

उप खण्ड अधिकारी
इटावा कोड नं0 253—15

…ब्रपन का प्रचलित नाम है किन्तु बाद के अन्य रिकार्ड यथा प्रशासनिक, स्कूल, …रिकार्ड , पेनकार्ड , मतदाता पहचानपत्र आदि में वादी का नाम सत्यानारायण तथा सत्यनारायण उर्फ मोहनलाल दर्ज है दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है किन्तु वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में त्रुटिपूर्वक सत्यनारायण पुत्र भैरवानन्द के स्थान पर मोहनलाल पुत्र भैरवानन्द हो रहा है वादी का मूल नाम सत्यानाराण है तथा वादी के दो भिन्न भिन्न रिकार्ड व नाम हो जाने के कारण वादी को कृषि विकास कार्यो को करवाने, बैंक लोन आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह इन्दाज दुरूस्ती करवाये तथा वादी अपना मोहनलाल पुत्र भैरवानन्द के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र भैरवानन्द दर्ज करवाये। इस कारण वादी को सत्यनारायण पुत्र भैरवानन्द के नाम से इन्द्राज दुरूस्ती करवाते हुए सत्यनारायण के नाम से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

यह कि वादी का नाम सत्यनारायण के स्थान पर मोहनलाल दर्ज हो जाने के कारण वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है , वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 से कई बार राजस्व रिकार्ड की उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने बाबत कई बार निरवेदन किया किन्तु उन्होने कोई ध्यान नही दिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। इस कारण माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे किः—

(अ) कि विवादित आराजी ग्राम बम्बुलिया कलॉ, पटवार क्षेत्र बम्बुलिया कलॉ तहसील पीपल्दा जिला कोटा में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2070—2073, खसरा नम्बर 401 रकबा 0. 22 है0 , खसरा नम्बर 402 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 506 रकबा 1.36 है0, खसरा नम्बर 524 रकबा 0. 85 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.44 है0 भूमि में वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र भैरवानन्द दर्ज किया जावे, तथा वादी को सत्यनारायण पुत्र भैरवानन्द के नाम से खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) कि अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे प्रदान करें।

वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये हैः—

1— नकल जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 ग्राम बम्बूलिया कलॉ
2— नकल फोटो कॉफी भामाशाह कार्ड
3— नकल फोटो कॉफी आयकर भिवाग
4— नकल फोटो कॉफी राशन कार्ड
5— नकल फोटो कॉफी आधार कार्ड
6— शेक्षणिक प्रमाण पत्र अंक तालिका सेकण्डरी स्कूल परीक्षा 1982

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया । प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थी वादी के नाम में त्रुटि होना स्वीकार किया। एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी मुताबिक जमाबन्दी संवत 2070—2073, खसरा नम्बर 401 रकबा 0.22 है0 , खसरा नम्बर 402 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 506

उप … अधिकारी
… 253—15

1.36 है0, खसरा नम्बर 524 रकबा 0.85 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.44 है0 भूमि वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र भैरवानन्द दर्ज किया जावे, तथा वादी को सत्यनारायण पुत्र भैरवानन्द को सुधार किये जाने योग्य है। अतः विवादित आराजी में जवाब सरकार में वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र भैरवानन्द जाति ब्राहम्ण सा. बम्बुलिया खुर्द दर्ज करने की अनुशंषा की है। अतः वादी के नाम में विवादित आराजी पर त्रुटि सुधार किया जाना सही प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार होने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

वादी का वादी पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद पत्र एवं उपलब्द्व दस्तावेजों ओर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। वाके ग्राम ग्राम बम्बुलिया पटवार क्षेत्र बम्बुलिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2070–2073, खसरा नम्बर 401 रकबा 0.22 है0 , खसरा नम्बर 402 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 506 रकबा 1.36 है0, खसरा नम्बर 524 रकबा 0.85 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3. 44 है0 स्थित आराजी में वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र भैरवानन्द जाति ब्राहम्ण के नाम से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा निर्णय अनुसार उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2020 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(रामअवतार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
इटावा 253—15

मूल वाद डिक्री मुदिमा इब्ताई

न्यायालय बइजलास रामावतार मीना आर.ए.एस., सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– सत्यनारायण उर्फ मोहनलाल पुत्र श्री भैरवानन्द जाति ब्राहम्ण निवासी बम्बुलिया तहसील पीपल्दा हाल निवासी 2 एफ 60 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा जिला कोटा (राज0)

वादी

बनाम

1– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा(राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर .टी .एक्ट.

मिसल नं 68/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि – वादी का वाद स्वीकार कर निर्णित व डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है किः–

वाके ग्राम ग्राम बम्बुलिया पटवार क्षेत्र बम्बुलिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2070–2073, खसरा नम्बर 401 रकबा 0.22 है0 , खसरा नम्बर 402 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 506 रकबा 1.36 है0, खसरा नम्बर 524 रकबा 0.85 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.44 है0 स्थित आराजी में वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र भैरवानन्द जाति ब्राहम्ण के नाम से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 24.11.2020 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे

सहायक अधिकारी
कार्या कोड नं0 253--15

वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

च

(रामावतार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
इटावा